

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक/ 1206 /77/आउशि/अनु.ब./21

भोपाल दिनांक 8 / 9 /2021

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी संबंधित
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 06 के अनुसार)
2. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय
म.प्र. (कॉलम 02 के अनुसार)

विषय:- अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को 62 से 65 वर्ष की अवधि में किये कार्य की राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 ।

संदर्भ:- म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-23/2019/38-3 दिनांक 26.02.20।

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में निम्नलिखित महाविद्यालयों से अर्धवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष करने के फलस्वरूप इस अवधि में कार्य करने वाले शिक्षकों की शिक्षाधिकारी से सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त जानकारी व मांग के आधार पर उनके नाम समक्ष कॉलम-5 अनुसार राशि आवंटित/स्वीकृत की जाती है:-

स. क.	महाविद्यालय/अधिकारी का नाम एवं पत्र क्र/दि	मांग पत्र अनुसार वेतन संबंधी राशि एवं अवधि	पेंशन से प्राप्त राशि	शुद्ध देय एवं स्वीकृत राशि	अग्रणी महाविद्यालय एवं डी.डी.ओ. कोड
1	2	3	4	5	6
1	मातेश्वरी सुगनीदेवी कन्या महावि. इंदौर 66/5.7.21 -डॉ. रश्मि बालचन्दानी, सेनि स.प्रा..हिन्दी	17,19,805 1.11.2014 - 14.10.2015	-	1719805	माता जीजाबाई शासकीय पी.जी. कन्या महाविद्यालय मोतीतबेला इन्दौर 1703802007
			योग:-	1719805	

2. उपरोक्त कॉलम-5 अनुसार आवंटित राशि रुपये 17,19,805/- (रुपये सत्रह लाख उन्नीस हजार आठ सौ पांच मात्र) का आहरण कॉलम-6 में उल्लेखित अग्रणी महाविद्यालय के डीडीओ कोड में बजट शीर्ष 044-2202-03-104-0103-3444-42-002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विकलनीय होगी ।
3. आवंटित राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा।
4. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
5. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2020-21 तक आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है। पूर्व वर्षों में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।
6. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

निरंतर.....2

7. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षा अधिकारी/प्राचार्य/संस्था की होगी।

8. उक्त आवंटन राशि में से संबंधित अधिकारी को देय राशि का मिलान उनको प्राप्त पेंशन का संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर उससे मिलान करने के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।



(चन्द्रशेखर वालिम्बे)

आयुक्त

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

५

भोपाल दिनांक 8 / 9 / 2021

पृ. क्रमांक 1207 / 77/आउशि/अनु.ब./21
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च, शिक्षा, मध्यप्रदेश।
6. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. वि.क.अ. (आई.टी.सेल), उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल।
8. वि.क.अ. न्यायालयीन प्रकोष्ठ, उच्च शिक्षा भोपाल।
9. संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

५ उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश